

(2007) 12 एस.सी.आर 962

आयकर आयुक्त

बनाम

गुजरात मैरीटाइम बोर्ड

5 दिसंबर 2007

(एस, एच, कपाडिया व बी, सुदर्शन रेडी, जे. जे.)

आयकर अधिनियम 1961

धारा 2 (15), 11 व 12-ए- अभिव्यक्ति "धर्मार्थ उद्देश्य व "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य वस्तु की उपलब्धता - धारा 2 (15) के तहत गुजरात समुद्री बोर्ड का पंजीकरण बाबत दावा अन्तर्गत धारा 12-ए-अभिनिर्धारित किया: यदि किसी संस्था का प्राथमिक या प्रमुख उद्देश्य धर्मार्थ है तो कोई भी अन्य उद्देश्य जो धर्मार्थ नहीं हो सकता है लेकिन जो प्रमुख उद्देश्य के लिए सहायक या आनुषंगिक है, संस्था को एक वैध धर्मार्थ होने से नहीं रोक सकेगा। तथ्यात्मक आधार- गुजरात समुद्री बोर्ड की स्थापना प्रमुख रूप से गुजरात राज्य के भीतर छोटे बंदरगाहों के विकास के उद्देश्य से की गई है। बोर्ड का प्रबंधन व नियंत्रण अनिर्वाय रूप से सरकार के पास है और कोई लाभ का उद्देश्य नहीं है। जैसा का धारा 73, 74 व 75

गुजरात समुद्री बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों द्वारा इंगित किया गया है। बोर्ड द्वारा अर्जित आय भारत में छोटे बंदरगाहों के विकास हेतु प्रयोग में ली जाती है। धारा 11 की योजना अनुसार आय का स्रोत न्यास के अधीन या अन्य कानूनी दायित्व के अधीन होना चाहिए- उक्त परीक्षण को लागू करने से यह स्पष्ट है कि गुजरात समुद्री बोर्ड का विधिक दायित्व है कि न्यास के तहत किये जा रहे व्यवसाय से होने वाली प्रत्यक्ष व मूलतः आय का प्रयोग गुजरात राज्य में स्थित छोटे बंदरगाहों के विकास हेतु करे- इसीलिए बोर्ड धारा 12-ए 1961 अधिनियम- गुजरात समुद्री बोर्ड अधिनियम 1981-धारा (3) के तहत धर्मार्थ न्यास के रूप में पंजीकृत होने का अधिकारी है।

आयकर आयुक्त मद्रास बनाम आंध्रा चैम्बर आफ कोमर्स (1965) 55 आई.टी.आर. 72 (एस.सी.); अतिरिक्त आयकर आयुक्त गुजरात बनाम सूरत आर्ट सिल्क क्लोथ मैनिफेक्चरर्स एसोसिएशन, (1980) 221 आई.टी.आर 2 (एस.सी.) तथा आयकर आयुक्त आंध्रप्रदेश बनाम आंध्रप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (1986) 159 आई.टी.आर. 1 (एस.सी) आधारित

आयकर आयुक्त गुजरात- iii , अहमदाबाद बनाम अहमदाबाद राणा कास्ट एसोसिएशन (1983) 140 आई.टी.आर. 1 (एस.सी.) अवलम्बन लिया गया।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकारिता: सिविल अपील संख्या 5656/2007

गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद के निर्णय दिनांकित
31.07.2006 अन्तर्गत कर अपील संख्या 1433/2005 के विरुद्ध।

मोहन परासरन, एस.एस.जी., डी.ल. चिदानंदा, लक्ष्मी अयंगर, बी.वी.
बालाराम दास, कृष्ण महाजन, के.एस. सम्मत तथा रानी छाबडा अपीलार्थी
की ओर से।

सोली सोराबजी तथा टी.आर. अंध्यारुजीना, प्रितेष, कपूर, हेमतिंका वाही,
जेसल तथा पिंकी प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

आदेश

अनुमति अनुदत।

गुजरात समुद्री बोर्ड एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसका गठन धारा
3 (2) गुजरात समुद्री बोर्ड अधिनियम 1981 के तहत किया गया है।

दिनांक 13.11.2002 से पूर्व बोर्ड स्थानिय प्राधिकरण के रूप में
पंजीकृत था। जैसा कि सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 (31) के
तहत परिभाषित है। यह एक व्यापक परिभाषा थी। 2002 से पहले बोर्ड
1961 के अधिनियम की धारा 10 (2) के तहत स्थानीय प्राधिकरण के रूप
में छूट का लाभ उठा रहा था। तद अनुसार 2002 से पहले बोर्ड की आय

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (20) के तहत आयकर के दायरे में नहीं थी।

वित्त अधिनियम 2002 के द्वारा धारा 10 (20) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया जिसके द्वारा "स्थानिय प्राधिकरण" को परिभाषित किया गया था। यह

स्पष्टीकरण के कारण शब्द 'स्थानिय प्राधिकरण' की अभिव्यक्ति पंचायतों, नगर पालिका, नगर पालिका समिति, जिला बोर्ड और छांवनी बोर्ड तक ही सीमित थी। इस प्रकार समुद्री बोर्ड 'स्थानिय प्राधिकरण' अभिव्यक्ति की परिभाषा के भीतर नहीं था।

इन परिस्थितियों में गुजरात समुद्री बोर्ड द्वारा आयुक्त को आवेदन, बोर्ड का पंजीकरण धर्मार्थ संस्था, जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(15) (इस के पश्चात संक्षिप्तता हेतु अधिनियम 1961 के रूप में उद्धृत) के तहत परिभाषित है के रूप में किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। तदनुसार उनके द्वारा सम्पत्ति/ व्यवसाय से अर्जित होने वाली आय से बतौर धर्मार्थ संस्थान धारा 11 अधिनियम 1961 के तहत छूट चाही गई। जिसे विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

इस प्रकरण में संक्षिप्त विवाद जो हमें तय करना है वह यह है: क्या समुद्री बोर्ड 1961 के अधिनियम की धारा 11 के तहत धर्मार्थ संस्थान का

दर्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। हम स्पष्ट करते हैं कि इस मामले में हमारा आशय पंजीकरण से है तथा आय के आवेदन से नहीं है।

1961 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का विप्लेषण करने से पहले हमारे लिए गुजरात समुद्री बोर्ड अधिनियम 1981 (संक्षेप में अधिनियम 1981) के प्रावधानों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

जैसा कि 1981 के अधिनियम की प्रस्तावना से देखा जा सकता है, यह स्पष्ट है कि बोर्ड का गठन अन्य बातों के साथ-साथ छोटे बंदरगाहों के रखरखाव व विकास के उद्देश्य के लिए किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत समुद्री बोर्ड स्वीवडरिंग, माल का परिवहन, भंडारण, जल यात्रा आदि जैसी सेवाएँ भी प्रदान करता है। यह घाट, सड़क, बिजली आदि के रखरखाव का भी प्रभारी है। हालांकि इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य गुजरात राज्य के भीतर के छोटे बंदरगाहों का विकास करना है। समुद्री बोर्ड को होने वाली आय को भंडार और अधिशेष को शामिल करते हुए एक अलग निधि में जमा किया जाना अपेक्षित है। जिससे उसका उपयोग छोटे बंदरगाहों के विकास हेतु किया जा सके। इस संदर्भ में हम 1981 के अधिनियम की धारा 73, 74 व 75 को उद्धृत करते हैं जो निम्न प्रकार से हैं:-

“73 इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन और बंदरगाहों और उनके दृष्टिकोण के संरक्षक के रूप में या

भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 की धारा 36 के तहत नियुक्त निकाय के रूप में प्राप्त सभी धन को छोटे बंदरगाहों का सामान्य खाता नामक निधि में जमा कराया जावेगा।

74 (1) धारा 73 के तहत सामान्य खाते में जमा की गई धन राशि का उपयोग बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शुल्क के भुगतान में किया जावेगा।

अर्थात्-

(ए) बोर्ड द्वारा लिये गये या प्राप्त किये गये किसी भी ऋण के संबंध में ब्याज और मूलधन की किश्तें या जिसके पुर्नभुगतान के लिए बोर्ड उत्तरदायी हो सकता है और ऐसे ऋण के लिए स्थापित सिंकिंग फंड को भुगतान हेतु।

(बी) बकाया वेतन, फीस, पारिश्रमिक, भत्ते, पेंशन, उपदान, अनुकंपा भत्ते या अन्य धन-

i. बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य

ii. बोर्ड के कर्मचारी और

iii. ऐसे कर्मचारियों के जीवित रिश्तेदार, यदि कोई हो, बाबत

(सी) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को प्रदत्त किये गये किसी भी अधिकारी की पेंशन और अवकाश भत्ते के लिए देय योगदान, यदि कोई हो तो।

(डी) बोर्ड द्वारा स्थापित किसी भविष्य या कल्याण निधि या ऋण या विशेष निधि के संचालन और प्रशासन हेतु बोर्ड द्वारा की गई लागत और व्यय, यदि कोई हो

(ई) इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों द्वारा किसी ऐसे फंड में किये जाने के लिए विधिवत अधिकृत योगदान, यदि कोई हो तो। जैसा कि खण्ड (डी) में वर्णित है।

(एफ) ऐसी रकम जिस पर समय-समय पर बोर्ड और राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी के बीच सहमति हो सकती है जो निगरानी और बोर्ड कार्यों के संबंध में खर्चों के लिए बोर्ड द्वारा उचित योगदान के रूप में देय हैं। जिससे पुलिस बल या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या कोई अन्य बल जिसके द्वारा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या कोई अन्य प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो बंदरगाह और गोदी, गोदामों और बोर्ड की अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा स्थापित और बनाये रख सकता है।

(जी) बोर्ड से संबंधित या उसमें निहित सम्पत्ति की मरम्मत और रखरखाव की लागत और उस पर सभी शुल्क और सभी कार्य व्यय।

(एच) धारा 25 में निर्दिष्ट किसी भी नये कार्य या उपकरण के निष्पादन और प्रावधान की लागत जिसे बोर्ड राजस्व के रूप में वसूलने के लिए निर्धारित कर सकता है।

(आई) धारा 26 के तहत किया गया कोई भी व्यय

(जे) कोई अन्य व्यय आमतौर पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।

(के) कोई अन्य शुल्क जो बोर्ड के आवेदन पर या अन्यथा विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया हो या जिसके लिए बोर्ड कानूनी रूप से उत्तरदायी हो।

(2) बोर्ड के खाते में जमा सभ धनराशि जिसे तुरंत उपधारा (1) में निर्दिष्ट तरीके से या उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता है-

(ए) भारतीय स्टेट बैंक या बैंकिंग कम्पनी अधिग्रहण और उपक्रमों के हस्तांतरण अधिनियम 1970 की धारा 2 के खंड (डी) में परिभाषित किसी भी संबंधित नये बैंक में (या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किसी निगम या वित्तीय संस्थान) जैसा बोर्ड निर्णय ले में जमा किया जाना चाहिए।

(बी) ऐसी सार्वजनिक प्रतिभूतियों में निवेश किया जाना चाहिए जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और उक्त प्रतिभूतियों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा न्यास में रखा जावेगा।

75 बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के साथ बंदरगाह के सामान्य खाते में जमा किये गये धन में किसी भी राशि को पायलटज खाते जैसे विशेष या निर्दिष्ट खाते में घाटे को पूरा करने लिए, यदि कोई हो लागू कर सकता है। इस प्रकार ऐसे विशेष खाते में किसी भी अधिशेष निधि का सम्पूर्ण या

आंशिक हिस्सा बंदरगाह के सामान्य खाते में बनाये रखा जावेगा या स्थानांतरित किया जावेगा।”

1961 के अधिनियम के प्रावधानों की चर्चा करे तो इस निर्णय के उद्देश्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान 1961 अधिनियम की धारा 2 (15) और धारा 11 (1) और (4) है। उक्त अनुभाग नीचे उद्धृत किये गये हैं जो निम्नानुसार है

“2(15) “धर्मार्थ उद्देश्य में गरीबों को सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सहायता तथा सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु की उपलब्धता शामिल है।

11 (1) धारा 60 से 63 के प्रावधानों के अधीन, आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय में निम्नलिखित आय शामिल नहीं की जावेगी।

(ए) पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय, जिस सीमा तक ऐसी आय भारत में ऐसे उद्देश्य के लिए लागू की जाती है, और, जहां ऐसी कोई आय भारत में ऐसे उद्देश्य के लिए उपयोग के लिए संचित या अलग रखी गई है, उस सीमा तक, जिस हद तक इस प्रकार संचित या अलग की गई आय ऐसी संपत्ति से होने वाली आय के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(बी) केवल ऐसे उद्देश्य के लिए ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय, ट्रस्ट इस अधिनियम के शुरु होने से पहले बनाया गया है जिस हद तक ऐसी आय भारत में ऐसे उद्देश्य के लिए आवेदन के लिए अंततः अलग रखा जाता है, उस सीमा तक जिस हद तक अलग रखी गई आय ऐसी संपत्ति से होने वाली आय के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होती है:

(सी) ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय --

i. 1 अप्रैल 1952 को या उसके बाद एक धर्मार्थ उद्देश्य के लिए बनाया गया, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देना है जिसमें भारत का हित है इस हद तक कि ऐसी आय भारत के बाहर ऐसे उद्देश्य के लिए लागू की जाती है, और

ii. धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए, 1 अप्रैल 1952 से पहले बनाया गया, उस सीमा तक, जिस सीमा तक ऐसी आय भारत के बाहर ऐसे उद्देश्य के लिए लागू की जाती है:

बशर्ते कि बोर्ड ने, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी मामले में निर्देश दिया हो कि इसे ऐसी आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा ;

(डी) एक विशिष्ट निर्देश के साथ किए गए स्वैच्छिक योगदान के रूप में आय कि वे ट्रस्ट या संस्थान के कोष का हिस्सा बनेंगे।

11 (4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति में इस प्रकार संचालित व्यावसायिक उपक्रम शामिल हैं, और जहां दावा किया जाता है कि ऐसे किसी भी उपक्रम की आय व्यक्तियों की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी उसकी प्राप्ति के बाद, "निर्धारित अधिकारी के पास मूल्यांकन से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे उपक्रम की आय निर्धारित करने की शक्ति होगी; और जहां इस प्रकार निर्धारित कोई भी आय उपक्रम के खातों में दर्शाई गई आय से अधिक है, इस तरह की अधिकता को धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए लागू माना जाएगा।"

धारा 2(15) के अनुसार, अभिव्यक्ति "धर्मार्थ उद्देश्य को एक समावेशी परिभाषा के माध्यम से परिभाषित किया गया है ताकि गरीबों को सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सहायता व सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु की सहायता शामिल हो सके। इस मामले में जिस अभिव्यक्ति की व्याख्या से हमारा संबंध है वह है "किसी भी सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की अन्य वस्तु की उपलब्धता।

धारा 11(1) के तहत धर्मार्थ उद्देश्य के लिए रखी गई संपत्ति से आय शामिल नहीं है और कुल आय का हिस्सा नहीं बनती है। धारा 11(1) में 3 उपधाराएँ (ए), (बी) और (सी) हैं। सभी 3 उप अनुभाग में प्रयोग किये गये शब्द "धर्मार्थ उद्देश्य के लिए ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त

आय" है। धारा 11(4) के तहत अभिव्यक्ति "ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति में इस प्रकार संचालित एक व्यावसायिक उपक्रम शामिल है। दूसरे शब्दों में, धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संचालित व्यावसायिक उपक्रम से अर्जित आय धारा 11 के अन्तर्गत आ सकती है। बशर्ते ऐसी आय उस धारा की अपेक्षित शर्तों को पूरा करती हो।

विभाग की ओर से उठायी गई आपत्तियों में से एक यह थी कि गुजरात समुद्री बोर्ड, अधिनियम 1961 की धारा 11 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि उक्त बोर्ड सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत ट्रस्ट नहीं था और इसीलिए यह 1961 अधिनियम की धारा 12-ए के तहत पंजीकरण का दावा करने का अधिकारी नहीं था। विभाग का प्रकरण यह था कि समुद्री बोर्ड एक वैधानिक प्राधिकरण था। यह कोई ट्रस्ट नहीं था। इसका कारोबार किसी के अधीन नहीं था। इसकी संपत्ति ट्रस्ट के अधीन नहीं रखी गई थी। इसीलिए बोर्ड धर्मार्थ संस्थान के रूप में पंजीकृत होने का अधिकारी नहीं था। विभाग का यह भी मामला था कि बोर्ड वैधानिक कार्य कर रहा था। गुजरात राज्य में छोटे बंदरगाहों के विकास को धर्मार्थ उद्देश्य के लिए किया गया कार्य नहीं कहा जा सकता और इन परिस्थितियों में आयुक्त ने 1961 के अधिनियम की धारा 12-ए के तहत बोर्ड के आवेदन को खारिज कर दिया। विभाग के उपरोक्त मामले के आलोक में हमारे द्वारा

1961 की अधिनियम की धारा 2(15) में "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की अन्य वस्तु अभिव्यक्ति पर विचार करना आवश्यक है।

प्रारंभिक रूप से हम बता सकते हैं कि अधिनियम 1961 की धारा 10 (20) और धारा 11 पूर्णरूप से अलग-अलग क्षेत्रों हेतु कार्य करती है। यदि बोर्ड "स्थानिय प्राधिकरण" नहीं भी रह गया है, फिर भी इसे 1961 के अधिनियम की धारा 11(1) के तहत छुट का दावा करने से नहीं रोका जा सकता है। इसीलिए धारा 11(1) को 1961 की अधिनियम की धारा 2 (15) के तहत परिभाषित "धार्मिक उद्देश्य अभिव्यक्ति की परिभाषा के आलोक में पढना होगा।

हमने इस न्यायालय के कई निर्णयों का अवलोकन किया है, जिसमें धारा 11(15) के शब्दों अर्थात् "आमतौर पर सार्वजनिक उपयोगिता की कोई अन्य वस्तु की व्याख्या की गई है। उक्त निर्णयों से यह परिलक्षित होता है कि उक्त अभिव्यक्ति का अर्थ व्यापकतम है। उक्त अभिव्यक्ति में "सामान्य शब्द का अर्थ सम्पूर्ण वर्ग से संबंधित है। इसीलिए जनता या जनता के एक वर्ग के लिए लाभ की किसी भी वस्तु की उपलब्धता, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को होने वाले लाभ से भिन्न हो एक धार्मिक उद्देश्य होगा। (आय कर आयुक्त गुजरात, iii अहमदाबाद बनाम अहमदाबाद राणा कास्ट एसोसियशन, (1983) 140 आई.टी.आर 1 एससी) उक्त अभिव्यक्ति में प्रथम दृष्टया वह सभी वस्तुएं शामिल होगी जो आम जनता के कल्याण को

बढावा देती है। यह नहीं कहा जा सकता कि कोई उद्देश्य परोपकारी नहीं रहेगा भले ही उसका उद्देश्य लोक कल्याण की पूर्ति हो। यदि प्रार्थमिक उद्देश्य और प्रमुख उद्देश्य आम जनता के कल्याण को बढावा देना है तो उद्देश्य धर्मार्थ उद्देश्य होगा। जब कोई उद्देश्य किसी विशेष व्यापार या उधोग के हितो को बढावा देने या उनकी रक्षा करने के लिए होता है तो वह उद्देश्य सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य बन जाता है। लेकिन यदि वह उद्देश्य उक्त व्यापार या उधोग का संचालन करने वाले के हितो का बढावा देता है तो वह सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य नहीं रह जाता है, (आयकर आयुक्त मंद्रास बनाम आंध्रा चैम्बर आफ कोमर्स (1965) 55 आई.टी.आर 722 एस.सी) यदि किसी संस्था का प्रार्थमिक या प्रमुख उद्देश्य धर्मार्थ है, तो कोई अन्य उद्देश्य जो धर्मार्थ नहीं हो किन्तु जो प्रमुख उद्देश्य के लिए सहायक या आकस्मिक है, वह संस्था को वैध धर्मार्थ होने से नहीं रोक सकेगा। (अतिरिक्त आयकर आयुक्त गुजरात बनाम सूरत आर्ट सिल्क क्लोथ मैनुफेक्चर एसोसियशन (1980) आई.टी.आर एससी)

हमारे विचार में वर्तमान मामला आय कर आयुक्त ए.पी. बनाम आंध्रप्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम (1986) 159 आई.टी.आर 1 एससी के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से स्पष्ट रूप से कवर होता है। जिसमें यह माना गया है कि क्योकि निगम की स्थापना बगैर किसी लाभ के कुशल परिवहन प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी व

लाभ प्राप्त करना मकसद नहीं था, हालांकि, यह पोर्सेस आय अर्जित करता है तो वह आयकर के लिए उत्तरदायी नहीं है।

आंध्रप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (सूपा) के निर्णय के अनुपात को लागू करने पर, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में गुजरात समुद्री बोर्ड की स्थापना गुजरात राज्य के भीतर छोटे बंदरगाहों के विकास के प्रमुख उद्देश्य के लिए की गई है। बोर्ड का प्रबंधन और नियंत्रण अनिवार्य रूप से राज्य सरकार के अधीन है और इसका कोई लाभ उद्देश्य नहीं है। जैसा कि 1981 अधिनियम की धारा 73, 74 व 75 के प्रावधानों से संकेत मिलता है। बोर्ड द्वारा अर्जित आय को भारत में छोटे बंदरगाहों के विकास के लिए उपयोग किया जाता है। इन परिस्थितियों में हमारे विचार में आंध्रप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (सूपा) में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णरूप से वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू होता है।

निष्कर्ष पारित करने से पूर्व हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि 1961 अधिनियम की धारा 11 (1) की योजना के तहत, आय का स्रोत ट्रस्ट के तहत या अन्य कानूनी दायित्व के तहत रखा जाना चाहिए। उक्त परिक्षण को लागू करने से यह स्पष्ट है गुजरात समुद्री बोर्ड गुजरात राज्य में छोटे बंदरगाहों के विकास के लिए ट्रस्ट के तहत संचालित व्यवसाय से सीधे और वस्तुतः रूप से उपबलध होने वाली आय का उपयोग करने के लिए

विधिक रूप से बाध्य है। इसीलिए वह 1961 अधिनियम की धारा 12-ए के तहत "धर्मार्थ न्यास" के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार रखता है।

उपरोक्त कारणों से हमें उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण के आक्षेपित निर्णयों में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। परिणाम स्वरूप यह सिविल अपील व्यय (कोस्ट) बाबत किसी प्रकार का आदेश पारित किये बगैर खारिज की जाती है।

अपील अस्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नमिता ढण्ड वशिष्ठ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।